79 25/6/2020 25/06/2020

प्रेषक,

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
ऊधम सिंह नगर।

सेवा में,

समस्त खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी
ऊधम सिंह नगर।

पत्रांक/ 2252-63/कोविड–19/2020–21, दिनाँक 24 जून, 2020

विषय– माननीय न्यायालय में शुल्क विषयक जनहित याचिका संख्या के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 के आदेश संख्या–237/ XXIV-B–5/2020–03(01)/2020, देहरादून, दिनाँक 22 जून 2020 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से लॉकडाउन अवधि में समस्त निजी विद्यालयों द्वारा लिये जाने वाले शुल्क सम्बन्धी आदेश पारित किये हैं। माननीय उच्च न्यायालय में कोविड–19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु लॉकडाउन अवधि में शुल्क विषयक लगी जनहित याचिकाओं के निस्तारण किये जाने के उपरान्त मा0 उच्च न्याया0 द्वारा दिनाँक 10.06.2020 को सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये–

1– मात्र ऑनलाईन/अन्य संचार माध्यमों से शिक्षण कराने वाले निजी विद्यालयों को लॉकडाउन अवधि में मात्र शिक्षण शुल्क लेने की अनुमति होगी। अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क अभिभावकों से नही लिया जायेगा। परन्तु यदि किसी विद्यालय द्वारा अतिरिक्त विषयों का अध्यापन ऑनलाईन करवाया जा रहा है तो उक्त विद्यालय द्वारा अतिरिक्त विषय पढ़ाने हेतु पूर्व से निर्धारित शुल्क, शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त लिया जा सकेगा।

2– ऑनलाईन/अन्य संचार माध्यमों से शिक्षण का लाभ लेने के बावजूद भी शुल्क देने में असमर्थ अभिभावक कारणों का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रबन्ध समिति से शुल्क जमा करने हेतु अतिरिक्त समय का अनुरोध कर सकते है। ऐसे प्रकरणों में विद्यालय प्रधानाचार्य/प्रबन्ध समिति द्वारा कोविड–19 एवं उसके फलस्वरूप लम्बी अवधि तक लागू लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हुई असामान्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सकारात्मक रूप से शुल्क के लिए वांछित अतिरिक्त समयावधि प्रदान की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में छात्रों को शुल्क जमा करने में हुए विलम्ब के कारण विद्यालय से बाहर नही किया जायेगा।

3– कोविड–19 एवं उसके फलस्वरूप लागू किये गये लॉकडाउन की अवधि में सरकारी/अर्द्धसरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से वेतन प्राप्त करने एवं उनकी आजीविका में किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ने के कारण ऑनलाईन/अन्य संचार माध्यमों से कक्षाओं का लाभ लेने के फलस्वरूप नियमित रूप से निर्धारित शिक्षण शुल्क जमा करवाया जायेगा।

4– शैक्षिक सत्र 2020–21 में निजी विद्यालयों द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के शुल्क में वृद्धि नही की जायेगी।

अतः उपरोक्त आदेश समस्त निजी डे एवं डे बोर्डिंग विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। इस हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0 126, दिनाँक 25.03.2020, शासनादेश सं0 130, दिनाँक 22.04.2020, शासनादेश संख्या 131, दिनाँक 02.05.2020 एवं शासनादेश संख्या 161 दिनाँक 14.05.2020 तत्काल प्रभाव से अतिक्रमित समझे जायेंगे। उक्तवत/संलग्न आदेश का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–उक्तवत शासनादेश।

भवदीय

24/6/2020

मुख्य शिक्षा अधिकारी
ऊधम सिंह नगर

पृ0सं0/ /कोविड–19/2020–21, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि:–
1–महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,उत्तराखण्ड देहरादून (शिकायत/सुझाव प्रकोष्ठ) को सूचनार्थ प्रेषित।
3–जिलाधिकारी महोदय, ऊधम सिंह नगर को अवलोकनार्थ।
4–मण्डलीय अपर निदेशक, मा0शि0, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5–जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0, ऊधम सिंह नगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
ऊधम सिंह नगर

कार्यालय- खण्ड शिक्षा अधिकारी काशीपुर (ऊ०सि०न०)

सेवामें, समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/शासकीय/अशासकीय/वित्तविहिन सी०बी०एस०ई० विद्यालय काशीपुर,

पत्रांक- 185 / कोविड-19/2020-21 दिनांक 25 जून 2020

उपरोक्त पत्र का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, कृत कार्यवाही से कार्यालय- खण्ड शिक्षा अधिकारी काशीपुर को भी अवगत करायें।

25/06/2020

खण्ड शिक्षा अधिकारी
काशीपुर,ऊधमसिंह नगर